

संध्या सिंह

संयुक्त सचिव(एम और ई)

आशा.पत्र सं. डब्ल्यू-11038/3/2009-डब्ल्यूक्यू

दिनांक:- 8 सितम्बर, 2014

विषय:- एमडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रशिक्षण कलेण्डर के अनुसार केआरसी को प्रशिक्षुओं को लगाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने विभिन्न केआरसी से और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी लेने के बाद अस्थायी प्रशिक्षण कलेण्डर की समेकित किया था। समुचित स्तरों से प्रशिक्षुओं की शीर्षक-वार और केआरसी-वार पहचान करने की योजना बनाने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए यह उपाय किया गया है। मंत्रालय की जानकारी में यह आया है कि इस प्रशिक्षण कलेण्डर के आधार पर कुछ राज्यों ने प्रशिक्षुओं केआरसी से पुष्टि प्राप्त करने से पहले ही सीधे-सीधे केआरसी के पास भेज दिया है। अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रशिक्षण का यह कलेण्डर संबंधित केआरसी द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण को अस्थाई अनुसूची (कार्यक्रम) है। राज्यों से निवेदन है कि वे प्रशिक्षुओं की पहचान की योजना बनाएँ और प्रशिक्षुओं के नाम तथा तिथि-वार सूचित करते हुए केआरसी को लिखें एवं संबंधित केआरसी से पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही संबंधित केआरसी में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।

सादर,

भवदीया

(संध्या सिंह)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/प्रभारी-पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता पीएचडी/ राज्य समन्वयक स्वच्छता

निदेशक, एनआईए- मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।